राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 138/2014

1. श्रीमती सन्तोष पुत्री स्व. श्री नारायण प्रसाद पत्नी शिवरतन उम्र 53 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी हाल चिड़ावा तहसील चिड़ावा
2. श्रीमती रूकमणी पुत्री स्व. नारायण प्रसाद पत्नी श्यामसुन्दर उम्र 55 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी हाल चिड़ावा तहसील चिड़ावा।

..... वादीगण

ब–ना–म

1. मूलचन्द पुत्र नारायण प्रसाद उम्र 74 वर्ष निवासी डाडा फतेहपुरा
2. कैलाशचन्द पुत्र नारायण प्रसाद उम्र 67 वर्ष निवासी डाडा फतेहपुरा
3. विमला पुत्री स्व. नारायण प्रसाद पत्नी मोतीलाल उम्र 61 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी हाल कासली तहसील सीकर जिला सीकर।
4. रेशमी बेवाह सुरेश
5. विक्रम पुत्र सुरेश पौत्र स्व. नन्दा ब्राहमण
6. मनोज पुत्र सुरेश पौत्र स्व. नन्दा ब्राहमण
7. रमेश पुत्र नन्दाराम
8. छाजू पुत्र देवीसहाय
9. रामजीलाल पुत्र रामकुमार
10. विमला पत्नी स्व. मूलचन्द
11. महेन्द्र पुत्र मूलचन्द
12. राकेश पुत्र मूलचन्द
13. सुभाष पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहमण निवासी डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
14. उप पंजीयक, खेतड़ी ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर), खेतड़ी तहसील खेतड़ी।

.....प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक :– 15–09–2020**

वादियागण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम डाडा फतेहपुरा स्थित कृषि भूमि खाता सं. 48 संवत् 2069 से 2072 के खसरा नंबर 198 रकबा 0.45 है. प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज किया है तथा खाता सं. 55 के खसरा नंबर 1401 रकबा 0.14 है. गै.मु. कुआ में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1/4 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। स्व. नारायण प्रसाद के दो पुत्र व तीन पुत्रियां हैं जो नारायण प्रसाद के एक मात्र वारिशान है इनके अलावा अन्य कोई वारिश संतान नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 कैलाशचन्द स्व. सूरजमल की सेवा सुश्रुषा करता है उसकी सेवा से प्रसन्न होकर स्व. सूरजमल ने स्व. नारायण प्राद की मौजूदगी में ही अपने हिस्से के मकान व कृषि भूमि की वैसियत प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में करदी थी। स्व. सूरजमल की कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 स्वयं काबिज काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं.

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:17:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2 स्वयं स्व. नारायण प्रसाद की कृषि भूमि पर अपने हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन नारायण प्रसाद की मृत्यु के बाद उसकी कृषि भूमि सहवन से अकेले प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हो गयी जिसको दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा करना आवश्यक हुआ। ग्राम डाडाफतेहपुरा स्थित कृषि भूमि खाता सं. 48 के ख.नं. 1988 रकबा 0.45 है. में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड कर दिया जबकि प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/10 दर्ज होना चाहिए क्योंकि स्व. नारायण प्रसाद के हम वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 वारिश है। इस प्रकार स्व. नारायण प्रसाद के 1/2 हिस्से के हम 5 वारिशान है जिसमें प्रत्येक का 1/10 हिस्सा होना चाहिए उसी मुताबिक जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड होना चाहिए। लेकिन सहवन से उक्त खाता में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड कर दिया जिसका रिकार्ड दुरूस्ती होना आवश्यक है तथा खाता सं. 55 के खसरा नंबर 1401 रकबा 0.14 है. गै.मु. कुआ में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि हम वादीगण प्रत्येक का 1/20 हिस्सा है उसी मुताबिक स्व. नारायण प्रसाद के हिस्से मे हम वादियागण एवं प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 का भी हिस्सा दर्ज रिकार्ड होना चाहिए लेकिन राजस्व रिकार्ड में स्व. नारायण प्रसाद की मृत्यु के बाद उसकी भूमि की खातेदारी अकेले प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गयी जो गलत है क्योंकि स्व. नारायण प्रसाद के दो लड़के व तीन लड़कियां है जिन सबकी कृषि भूमि की खातेदारी दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए, सहवन से खातेदारी दर्ज नहीं होने की जानकारी जमाबंदी की प्रमाणित नकल लेने से मालुम पडा। इसलिए वादीगण को उक्त दोनों खातों मे अपने नाम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड करवाने हेतु दावा घोषणात्मक करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम डाडा फतेहपुरा स्थित कृषि भूमि खाता सं. 48 के खसरा नंबर 198 रकबा 0.45 है. बारानी में हम वादियागण प्रत्येक का 1/10 तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा खाता सं. 55 के खसरा नंबर 1401 रकबा 0.14 है. गै.मु. कुआ में हम वादियागण प्रत्येक का 1/20 तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/20 को खातेदार काश्तकार घोषित कर रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 9, 10 व 13 की ओर से श्री जयप्रकाश सैनी एडवोकेट ने अण्डर टेकिंग ली थी, परन्तु प्रतिवादीगण सं. 9, 10, व 13 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किये जाने बाबत अनेक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद इनकी ओर से वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादियागण ने जरिये प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वाद में प्रतिवादी सं. 4 लगा. 13 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं इनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहिए। इसलिए वाद में उक्त प्रतिवादी तलबी बन्द की जाती है।

वादियागण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 55, खाता सं. 48 व खाता सं. 342 ग्राम डाडा फतेहपुरा, फोटो प्रति दावा उनवानी सन्तोष आदि बनाम मूलचन्द आदि, निर्णय व डिक्री मुकदमा नंबर 182/2011 पेश की गयी।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद पत्र के खण्ड सं. 1 में वर्णित नारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:17:42 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

प्रसाद की वंशावली के मुताबिक वाद वादीयागण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम डाडा फतेहपुरा स्थित भूमि खाता सं. 48 खसरा नंबर 198 रकबा 0.45 है. में वादियागण प्रत्येक को 1/10 हिस्से तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 प्रत्येक को 1/10 हिस्से का तथा खाता सं. 55 खसरा नंबर 1401 रकबा 0.14 है. गै.मु. कुआ में वादियागण प्रत्येक को 1/20 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–09–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:17:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner